चकमहेशी थाना कांड संख्या–192 / 2022 में बालात्कार पीडिता को बिहार पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रदान की गई तत्काल सहायता राशि का सफल एवं संक्षिप्त कहानी

दिनांक 14.11.2022 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के पृष्ठ संख्या–03 पर प्रकाशित समाचार **"दुष्कर्म के बाद नाबालिग की जीभ काटकर फेंकी"** शीर्षक के आलोक में तत्कालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के द्वारा पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयं सेवक को तत्काल पीड़िता की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतू प्रतिनियुक्त किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 15.11.2022 को विशेष न्यायाधीश, बाल यौनाचार प्रतिशेध अधिनियम, समस्तीपुर के न्यायालय द्वारा न्यायादेश प्राप्त हुआ कि चकमहेशी थाना कांड संख्या–192 / 2022 के पीड़िता को तत्काल सहायता राशि के रूप में मो0 500000 / –(पॉच लाख रूपया)मात्र का भुगतान किया जाय। उक्त न्यायादेश के आलोक में कार्यालय लिपिक एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के प्रतिवेदन के उपरांत श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के आदेशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना से आवंटन की मॉग की गई जोकि उसी दिन राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना की तत्परता से प्राप्त हुआ। उक्त आवंटन प्राप्त होने के उपरांत कार्यालय लिपिक एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के प्रतिवेदन के उपरांत श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के आदेशानुसार उसी दिन पीड़िता के खाता में तत्काल सहायता राशि मो0 500000 / –(पॉच लाख रूपया)मात्र का भुगतान कर दिया गया। जिससे नाबालिग पीड़िता का ईलाज संभव हो सका और उसके जान को बचाया जा सका। उपरोक्त कार्य बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर की तत्परता एवं निष्ठापूर्ण कार्य के कारण न्यायादेश प्राप्ति के महज 24 घंटे के अन्दर संभव हो सका।